(भारत के राजपत्र के भाग-। खंड 1 में प्रकाशनार्थ)

सं. 2-18/2011-नीति निर्धारण-।

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

(नीति निर्धारण-। अनुभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115

दिनांक 18 मई, 2012

संकल्प

1. शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए उच्चतम सलाहकार संस्था, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की स्थापना सर्वप्रथम 1920 में की गई थी तथा मितव्ययिता के उपाय के रूप में 1923 में इसे भंग कर दिया गया। 1935 में इसे पुनर्जीवित किया गया तथा 1994 तक यह अस्तित्व में रहा। विगत में केब की सलाह पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श एवं जांच के लिए इसने एक मंच प्रदान किया, तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए 12.12.2008 को केब का पुनर्गठन किया गया था और अब वह कार्यकाल समाप्त हो चुका है। देश में हो रहे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के मद्देनजर तथा शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे व्यापक सुधारों को ध्यान में रखते हुए भी वर्तमान समय में केब को विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए यह महत्वपूर्ण बात है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों, शिक्षाविदों तथा सभी विषय-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को आपसी बातचीत में बढ़ोतरी करनी चाहिए तथा शिक्षा संबंधी निर्णय लेने के लिए सहभागितापूर्ण प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए जो हमारे शासन तंत्र के संघीय ढांचे का संवर्धन करता है।

2. तदनुसार भारत सरकार ने केब को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है, केब सदस्यों की सूची **अनुबंध**-। में दी गई है।

3. **केब के कार्य निम्नलिखित होंगे:**

क) समय-समय पर शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना;

ख) केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मात्रा एवं ढंग का मूल्यांकन करना और इस मामले में उपयुक्त सलाह देना;

ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षिक विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राज्य सरकारों एवं गैर सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के संबंध में सलाह देना;

घ) किसी भी शैक्षिक प्रश्न पर स्वत: या केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर सलाह देना;

ड.) राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करना।

4. इन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड

(i) किसी भी सरकारी संस्था, किसी अन्य संगठन या व्यक्ति से सूचना एवं टिप्पणी की मांग कर सकता है;

(ii) आवश्यकतानुसार अपने सदस्यों और/या अन्यों को शामिल करते हुए समिति या समूह गठित कर सकता है, और

(iii) सरकार या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से ऐसे किसी भी मुद्दे पर अध्ययन अनुसंधान या रिपोर्ट अधिष्ठापित कर सकता है जिस पर बोर्ड या इसकी समिति अथवा समूह द्वारा ध्यान दिया जाना हो।

5. **(क) कार्यकाल:**

इस अधिसूचना की तारीख से केब का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(ख) आकस्मिक रिक्तियां:

(i) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के बीच सभी आकस्मिक रिक्तियों को उस प्राधिकारी या संस्था द्वारा भरा जाएगा जिसने उस सदस्य को मनोनीत किया होगा अथवा चुना होगा जिसका पद रिक्त होगा।

(ii) आकस्मिक रिक्ति पर मनोनीत या चयनित व्यक्ति बोर्ड का उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा जिस अवधि के लिए वह व्यक्ति सदस्य रहता है, जिसके स्थान पर उसे चुना गया है।

(ग) बैठक:

(i) बोर्ड की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी तथा बोर्ड की दो क्रमिक बैठकों में दो वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होगा।

(घ) **कार्यसूची:**

(i) कार्यसूची, व्याख्यात्मक ज्ञापन और कार्यवाही/कार्यवृत्त का रिकार्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार द्वारा तैयार एवं परिचालित किया जाएगा।

(ii) कार्यसूची एवं व्याख्यात्मक ज्ञापन सामान्यतया सभी सदस्यों को बोर्ड की बैठक से कम से कम 10 दिन पहले परिचालित किए जाएंगे।

(ङ.) कोरम: बोर्ड की बैठक का कोरम इसकी कुल सदस्यता का 2/3 होगा।

(च) कार्यविधि: जिन मामलों का ऊपर प्रावधान नहीं है उनके मामले में बोर्ड अपनी स्वयं की कार्यविधि अपनाएगा।

(छ) सामान्य: सिर्फ प्रक्रियागत खामी या किसी भी श्रेणी के अंतर्गत पद रिक्ति के कारण बोर्ड की कोई भी कार्रवाई अवैध नहीं होगी।

18.5.2012

(अमित खरे)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय
एनआईटी, फरीदाबाद (हरियाणा)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्य/आमंत्रिती।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त सांविधिक निकाय।
4. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के सभी शिक्षा सचिव।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री का कार्यालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
8. लोक सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली।

9. राज्य सभा सचिवालय, संसद सौध, नई दिल्ली।

10. वेबमास्टर, सीएमआईएस *(मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए)*।

11. सभी ब्यूरो प्रमुख/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रभागीय अध्यक्ष।

12. गार्ड फाइल।

15.5.2012

(अमित खरे)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रति सूचनार्थ:-

1. मानव संसाधन विकास मंत्री के निजी सचिव/मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (ई.ए.) के निजी सचिव/ मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (डी.पी.) के निजी सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्री।

2. सचिव के पीएसओ (उ.शि.)-सह-सदस्य सचिव, केब

15.5.2012

(अमित खरे)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

07.06.2012

CMIS (DP)

अनुबंध-I

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की संरचना

1. **अध्यक्ष**

   मानव संसाधन विकास मंत्री

2. **उपाध्यक्ष**

   (i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

   (ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

3. **भारत सरकार के प्रतिनिधि**

   i. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री

   ii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

   iii. सूचना और प्रसारण मंत्री

   iv. श्रम एवं रोजगार मंत्री

   v. संस्कृति मंत्री

   vi. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

   vii. विधि एवं न्याय मंत्री

   viii. अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

   ix. जनजातीय कार्य मंत्री

   x. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), महिला एवं बाल विकास

   xi. युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

   xii. सदस्य (शिक्षा), योजना आयोग

4. **राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के प्रतिनिधि**

   i. मुख्यमंत्री द्वारा नामित प्रत्येक राज्य सरकार में शिक्षा के प्रभारी एक मंत्री

   ii. प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में उप राज्यपाल अथवा शिक्षा के प्रभारी मंत्री

5. **संसद (लोक सभा/राज्य सभा) द्वारा चयनित सदस्य**

   i. लोक सभा से चार संसद सदस्य

   ii. राज्य सभा से दो संसद सदस्य

6. **पदेन सदस्य**

i. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
ii. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
iii. सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग
iv. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
v. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
vi. अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
vii. अध्यक्ष, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद
viii. अध्यक्ष, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद
ix. अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद
x. अध्यक्ष, अध्यक्ष भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद
xi. अध्यक्ष, भारतीय औषधीय केन्द्रीय परिषद
xii. अध्यक्ष, वास्तुकला परिषद
xiii. अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
xiv. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
xv. अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
xvi. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ
xvii. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
xviii. अध्यक्ष, दूरस्थ शिक्षा परिषद
xix. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
xx. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
xxi. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
xxii. अध्यक्ष, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
xxiii. अध्यक्ष, भारतीय अभियंता संस्थान

7. **विश्वविद्यालयों के कुलपति/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के अध्यक्ष**

i. प्रो0 दिनेश सिंह, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय
ii. प्रो0 अभिजीत चक्रवर्ती, कुलपति, जाधवपुर विश्वविद्यालय
iii. प्रो0 डब्ल्यू.एन. गडे, कुलपति, पुणे विश्वविद्यालय
iv. प्रो0 ए.एन. राय, कुलपति, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय
v. डॉ0 कल्याणी मथीवनन, कुलपति, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय
vi. प्रो0 ए.एस. बरार, कुलपति, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय
vii. प्रो0 देवांग खखड, निदेशक, आईआईटी, बॉम्बे

viii. प्रो0 पी. बलराम, निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

ix. प्रो0 बिमल के. राय, निदेशक, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता

x. प्रो0 आर. गोविन्दा, कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय

8. **नामित सदस्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि**

क) उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व करने और शिक्षा में रूचि रखने वाले चार व्यक्ति

i. श्री राजेन्द्र एस. पवार, अध्यक्ष, एनआईआईटी

ii. श्री शिव नाडार, मुख्य प्रबंध निदेशक, एचसीएल प्रौद्योगिकी

iii. श्री अनलजीत सिंह, संस्थापक एवं अध्यक्ष, मैक्स

iv. डॉ0 एस. रामदोरई, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद में प्रधानमंत्री के सलाहकार

ख) छह प्रतिष्ठित अकादमीशियन/टेक्नॉलाजिस्ट/वैज्ञानिक

i. प्रो0 गोवर्धन मेहता, प्रोफेसर हैदराबाद विश्वविद्यालय

ii. प्रो0 माधव गाड़गिल, प्रोफेसर आईआईएससी, बंगलौर

iii. डॉ0 रामचन्द्र गुहा, प्रतिष्ठित इतिहासकार

iv. प्रो0 यू.आर. अनंतमूर्ति, लेखक

ग) विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सात व्यक्ति

i. प्रो0 सुखदेव, थोराट(अपनी हैसियत से), यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष और आईसीएसएसआर के वर्तमान अध्यक्ष

ii. प्रो0 डेविड आर. स्यीमलीह, कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोयमुख, अरूणाचल प्रदेश

iii. डॉ0 मेरी ई. जोहन, वरिष्ठ अध्येता, महिला विकास अध्ययन केन्द्र

iv. डॉ0 मिथु अलूर, संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय स्पास्टिक सोसायटी (एडीएपीटी)

v. प्रो0 एस.पी. सिंह, पूर्व कुलपति, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय

vi. सुश्री तीस्ता सीतलवाड, सामाजिक कार्यकर्ता

vii. सुश्री शबनम हाशमी, सामाजिक कार्यकर्ता

घ) स्कूल शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच नामिति

i. श्री अरूण कुमार, निदेशक, वसंत वैली फाउंडेशन

ii. श्री ओम प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा संस्थान

iii. श्रीमती अदिति जैन अनिल, अध्यक्ष, प्रज्ञावर्तन एजूकेशन सोसायटी एवं गैया स्कूल

iv. डॉ0 रूक्मिनी बनर्जी, प्रथम

v. डॉ0 विनोद रैना, शिक्षाविद

ड.) रचनात्मक कला के दो नामिती प्रतिनिधि

i. श्री श्याम बेनेगल, फिल्म निर्देशक

च) अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों का एक नामित प्रतिनिधि

i. श्री पी.ए. इनामदार, शिक्षाविद

छ) विभिन्न भाषाओं के चार नामिति प्रतिनिधि

i. प्रो0 वसीम बरेलवी - उपाध्यक्ष, एनसीपीयूएल उर्दू

ii. डॉ0 वी.सी. कुलनदाई स्वामी - तमिल

iii. श्री गोपालदास नीरज - हिन्दी

iv. श्री सत्यव्रत शास्त्री - संस्कृत

9. मीडिया के प्रतिनिधि

i. श्री विनोद दुआ, एनडीटीवी

ii. श्री एम.के. राज़दान, पीटीआई

10. सदस्य सचिव

सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

11. स्थायी आमंत्रिती

i. सचिव, योजना आयोग

ii. सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग तथा आईसीएआर के महानिदेशक

iii. सचिव, संस्कृति मंत्रालय

iv. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

v. सचिव, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

vi. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

vii. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

viii. सचिव, खेल विभाग
ix. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय
x. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
xi. सचिव, युवा कार्य विभाग